


| दिनांक                          | कार्यवाही विवरण  | हस्ताक्षर   |
|---------------------------------|--|---|
| 3 <sup>12</sup> / <sub>19</sub> | <p>पत्रावली पेश हुई. तहसीलदार ओसियां की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्शे में वन दू वन में मपिंग किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आया कि ग्राम <u>शाहरी-खसरा</u> खसरा नं. <u>99/2</u> जमाबंदी में एक साथ जुमला दर्ज है जबकि मौके पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातेदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए नक्शे में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबंदी एवं संशोधन हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" को निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।</p> | <p style="text-align: center;"> <br/> <b>पुष्प राण्ड अधिकारी</b><br/>         एवं<br/>         सहायक कलेक्टर व<br/>         जमाबंदी अधिकारी       </p> |

